छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम – 2004

रायपुर, दिनॉक नवम्बर, 2004

नियम–1: संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ–

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम, 2004 कहलायेंगे
(2) ये नियम जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

नियम–2: परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो

(अ) ''भवन'' से अभिप्रेत है कि नई दिल्ली में स्थित छत्तीसगढ़ भवन,
(ब) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भवन के आवासीय आयुक्त,
(स) कर्त्तव्य पर प्रवास से अभिप्रेत है –
  (1) छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय कार्य से या प्रशिक्षण पर प्रवास अथवा
  (2) छत्तीसगढ़ विधानसभा या उसकी किसी समिति के कार्य से प्रवास अथवा
  (3) छत्तीसगढ़ उच्च/उच्चतम न्यायालय के कार्य से प्रवास अथवा अन्य शासकीय कार्य पर प्रवास
(द) ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।
(द) ''वाहन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भवन द्वारा शासन के कार्य के लिए इन नियमों में दी गई पात्रतानुसार किसी भी माध्यम से उपलब्ध कराया गया वाहन।

नियम–3: भवन में वाहन की पात्रता की सामान्य व्यवस्था: – दिल्ली प्रवास पर आये निम्नलिखित अतिथियों के लिए वाहन व्यवस्था भवन द्वारा की जाएगी :–

(क)
1. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
4. मंत्री, नेता प्रतिपक्ष
5. राज्यमंत्री
6. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रमुख लोकायुक्त, लोकायुक्त
7. राज्य निर्वाचन आयुक्त
8. महाधिवक्ता, उपमंत्री
9. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य अतिथि

(ख) वेतनमान रूपये 16,400–450–20,000 एवं इसके उपर वेतनमान के अधिकारीगण।

नियम– 4: <u>वाहन की संख्याः–</u> नियम (3) में दर्शित सभी अतिथियों एवं अधिकारियों को केवल शासकीय कार्य हेतु एक वाहन की पात्रता होगी।

नियम – 5: <u>वाहन का प्रकार :–</u> भवन द्वारा अतिथियों/अधिकारियों को केवल एम्बेसडर/इण्डिका (Ambassador/Indica) या उसी स्तर/प्रकार का वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

नियम –6: <u>ट्रांसपोर्टर्स से अनुबंध :–</u> आवासीय आयुक्त को वाहन व्यवस्था के लिए समय–समय पर विभिन्न ट्रांसपोर्टर्स के साथ अनुबंध करने का अधिकारी होगा।

नियम–7: <u>वाहन के लिए लिखित मांगः–</u> वाहन उपलब्धता केवल शासकीय यात्रा पर आ रहे पदाधिकारी/अधिकारी से प्राप्त पत्र अथवा कार्यालय प्रमुख से प्राप्त पत्र पर ही की जायेगी। वाहन की मांग लिखित में होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में लिखित में पूर्व से मांग संभवन न हो तो भवन में आगमन के तुरन्त बाद मांग पत्र फार्म (Requisition Form) अनिवार्य रूप से भरना होगा, जिसमें शासकीय कार्य दर्शाने पर ही वाहन व्यवस्था की जा सकेगी।

नियम–8: <u>वाहन के उपयोग की दैनिक सीमाः–</u> नियम 3 (ख) में दर्शित अधिकारियों को प्रत्येक दिवस के लिए वाहन 100 किलोमीटर एवं 10 घंटे तक के लिए ही उपलब्ध होगा। इससे अतिरिक्त वाहन के उपयोग का भुगतान अतिथि द्वारा स्वयं वहन करना पडेंगा। भुगतान की दर ट्रांस्पोर्टस से किए गए अनुबंध में तय की गई दरों के अनुसार होगी।

नियम–9: <u>वाहन की लाग बुक व्यवस्थाः–</u>
वाहन उपयोग करने वाले अतिथि/अधिकारी का दायित्व होगा कि :–

1. सुनिश्चित करें कि उन्हें इन नियमों के अनुसार वाहन की पात्रता है।
2. लॉगबुक अथवा वी0आर0ओं0 में हस्ताक्षर करते समय सुनिश्चित करें कि समय और किलोमीटर पठन ठीक–ठीक अंकित हो। लॉगबुक अथवा वी0आर0ओ0 पर किए गए इंद्राज का पूर्ण दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

नियम–10: <u>वाहन के उपयोग की क्षेत्रीय सीमाः–</u> कोई भी वाहन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की लिखित अनुमति के बिना नहीं ले जाया जा सकता। यदि कोई अतिथि/अधिकारी ऐसा करता है तो वाहन का दुरूपयोग माना जाएगा और वाहन उपयोग का पूरा भुगतान अतिथि/अधिकारी से वसूला जाएगा।

नियम–11: <u>निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग का भुगतानः–</u> उपरोक्त नियमों में दर्शाए गए अतिथि/अधिकारी द्वारा अतिरिक्त एवं सीमा से अधिक उपयोग की दशा में संबंधित अतिथि/अधिकारी स्वंय वाहन व्यय का भुगतान करेंगे और अपने कार्यालय में पात्रतानुसार प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

नियम–12: <u>आयोग/मण्डल के पदाधिकारियों के लिये व्यवस्थाः–</u> उपरोक्त नियम 3 में दर्शाए गए अतिथियों/अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न आयोग, निगम व मण्डल के अध्यक्ष (मंत्री दर्जा प्राप्त होने के बावजूद) सदस्य व पदाधिकारियों को वाहन, पात्रतानुसार अग्रिम भुगतान या तुरन्त भुगतान पर उपलब्ध करवाया जायेगा। भुगतान की दर भवन के ट्रांसपोर्टरों को दी जाने वाली दरों पर आधारित होगी।

नियम–13: <u>पात्रता संबंधी प्रश्न उपस्थित होने पर व्यवस्थाः–</u> यदि उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत पात्रता संबंधी कोई प्रश्न उठता है तो वाहन उपयोग करने वाले अतिथि/अधिकारी को चाहिए की स्वयं वाहन व्यय भुगतान करें एवं भविष्य के लिए स्वयं सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश/स्पष्टीकरण जारी करवाएं।

नियम–14: <u>पात्रता संबंधी गलत जानकारी का परिणामः–</u> यदि कोई अतिथि या अधिकारी शासकीय कार्य के अलावा अन्य कार्य पर भवन के अथवा भाड़े के वाहन का उपयोग, भवन के स्वागती रजिस्टर में शासकीय कार्य दर्शाते हुए करता है और बाद में जानकारी होती है कि यात्रा का उद्देश्य शासकीय कार्य नहीं था तो अन्य योग्य कार्यवाही के अतिरिक्त वाहन उपयोग में हुए व्यय की वसूली संबंधित अतिथि /अधिकारी से की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(जे0 मिंज)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

// आदेश //

रायपुर, दिनॉक 30 जून, 2005

क्रमांक एफ 8–6/2003/1/5:: राज्य शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम–2004, दिनॉक 16 नवम्बर, 2004 के नियम–8 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है :–

// संशोधन //

नियम–8 **वाहन के उपयोग की दैनिक सीमा–** नियम–3–ख में दर्शित अधिकारियों को प्रत्येक दिवस के लिए वाहन 100 किलोमीटर के स्थान पर 125 किलोमीटर तथा 10 घंटे के स्थान पर 12 घंटे तक के लिये ही उपलब्ध होगा। इससे अतिरिक्त (दूरी एवं अवधि के लिये) वाहन के उपयोग का भुगतान अतिथि द्वारा किया जायेगा। भुगतान की दर ट्रांस्पोर्टस से किए गए अनुबंध में तय की गई दरों के अनुसार होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जे0 मिंज)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 8–6/2003/1/5 रायपुर दिनॉक 30 जून, 2005

प्रतिलिपि:–

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
3. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
5. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
6. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
8. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
9. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

// आदेश //

रायपुर, दिनॉक 02 सितम्बर, 2005

क्रमांक एफ 8–6/2003/1/5:: राज्य शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम–2004, दिनॉक 16 नवम्बर, 2004 के नियम–5 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है :–

// संशोधन //

नियम–5 **वाहन का प्रकार–** छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली द्वारा एस्टीम/एसेन्ट/आईकन गाड़ियॉ माननीय मंत्री, राज्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष विधासनसभा, मुख्य नयायधीश तथा न्यायधीश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तथा मुख्य सचिव को ही दी जायें। दर्जा प्राप्त या अन्य को ये गाड़ियॉ नहीं दी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस0 आर0 सेजकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 8–6/2003/1/5 रायपुर दिनॉक 02 सितम्बर, 2005

प्रतिलिपि:–

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
3. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
5. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
6. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
8. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
9. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001
//आदेश//

रायपुर, दिनॉक 28 अगस्त, 2008

क्रमांक एफ 8–6/2003/1/5:: राज्य शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम–2004 जारी किया है। वाहन पात्रता नियम 3,5,8 एवं 12 में निम्नानुसार प्रावधान है :–

नियम–3: भवन में वाहन की पात्रता की सामान्य व्यवस्थाः – दिल्ली प्रवास पर आये निम्नलिखित अतिथियों के लिए वाहन व्यवस्था भवन द्वारा की जाएगी :–

(क)
1. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
4. मंत्री, नेता प्रतिपक्ष
5. राज्यमंत्री
6. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रमुख लोकायुक्त, लोकायुक्त
7. राज्य निर्वाचन आयुक्त
8. महाधिवक्ता, उपमंत्री
9. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य अतिथि

(ख) वेतनमान रूपये 16,400–450–20,000 एवं इसके उपर वेतनमान के अधिकारीगण।

नियम – 5: वाहन का प्रकार :– भवन द्वारा अतिथियों/अधिकारियों को केवल एम्बेसडर/इण्डिका (Ambassador/Indica) या उसी स्तर/प्रकार का वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

नियम–8: वाहन के उपयोग की दैनिक सीमाः– नियम 3 ख में दर्शित अधिकारियों को प्रत्येक दिवस के लिए वाहन 100 कि.मी. के स्थान पर 125 कि.मी. तथा 10 घंटे तक के स्थान पर 12 घण्टे के लिए ही उपलब्ध होगा। इससे अतिरिक्त (दूरी एवं अवधि के लिए) वाहन के उपयोग का भुगतान अतिथि द्वारा किया जाएगा। भुगतान की दर ट्रांस्पोर्टस से किए गए अनुबंध में तय की गई दरों के अनुसार होगी।

नियम–12: आयोग/मण्डल के पदाधिकारियों के लिये व्यवस्थाः– उपरोक्त नियम 3 में दर्शाए गए अतिथियों/अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न आयोग, निगम व मण्डल के अध्यक्ष (मंत्री दर्जा प्राप्त होने के बावजूद) सदस्य व पदाधिकारियों को वाहन, पात्रतानुसार अग्रिम भुगतान या तुरन्त भुगतान पर उपलब्ध करवाया जायेगा। भुगतान की दर भवन के ट्रांसपोर्टरों को दी जाने वाली दरों पर आधारित होगी।

2/ दिनॉक 16.11.2004 का जारी छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम 2004 के नियम 3,5,8 एवं नियम 12 के स्थान पर अब निम्नानुसार नियम 3,5,8 एवं 12 प्रतिस्थापित किया जाता है :–

नियम–3: <u>भवन में वाहन की पात्रता की सामान्य व्यवस्था: –</u> दिल्ली प्रवास पर आये निम्नलिखित अतिथियों के लिए वाहन व्यवस्था भवन द्वारा की जाएगी :–

(क)
1. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. उपमुख्यमंत्री / छत्तीसगढ़ उच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश / प्रमुख लोक आयुक्त
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा,
5. मंत्रीगण / नेता प्रतिपक्ष
6. राज्यमंत्री / विधानसभा उपाध्यक्ष
7. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
8. महाधिवक्ता / उपमंत्री
9. मुख्य सचिव / अध्यक्ष, राजस्व मण्डल / अध्यक्ष , लोक सेवा आयोग / अध्यक्ष विद्युत मंडल / लोकायुक्त
10. अतिरिक्त मुख्यसचिव / पुलिस महानिदेशक / प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(ख)
1. संसदीय सचिव
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, छत्तीसगढ़
3. मुख्य सूचना आयुक्त / सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ / अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग
4. सदस्य राजस्व मंडल / सदस्य छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
5. राज्य के निगम / मंडल / प्राधिकरण व आयोगों के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष
6. अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य मानव अधिकार आयोग
7. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य अतिथि
8. प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव / संभागीय आयुक्त / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक / पुलिस महानिदेशक / पुलिस उप महानिरीक्षक

(ग) विभागाध्यक्ष / अपर पुलिस महानिदेशक / रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

नियम – 5: <u>वाहन का प्रकार :–</u>

1. नियम 3 के खण्ड (क) में उल्लेखित अधिकारियों / पदाधिकारियों / महानुभवों को (Honda City/Corrola/Lancer/Accent/Icon) श्रेणी के वातानुकूलित वाहन दिए जाएंगे।
2. नियम 3 के खण्ड (ख) एवं (ग) में उल्लेखित पदाधिकारियों, अधिकारियों को केवल वातानुकुलित कार उपलब्ध कराई जाएगी।

नियम–8 वाहन के उपयोग की दैनिक सीमा :– नियम 3 (ख) एवं (ग) में दर्शित अधिकारियों को प्रत्येक दिवस के लिए वाहन 125 कि.मी. के स्थान पर 200 कि.मी. तथा 12 घंटे के स्थान पर 14 घंटे तक के लिए उपलब्ध होगा। इससे अतिरिक्त वाहन के उपयोग का भुगतान अतिथि द्वारा स्वंय किया जाएगा। भुगतान की दर ट्रांसपोर्टर से किए गए अनुबंध में तय की गई दरों के अनुसार होगी।

नियम–12 आयोग/मण्डल के पदाधिकारियों के लिए व्यवस्थाः– उपरोक्त नियम 03 में दर्शाए गए अधिकारियों/पदाधिकारियों में से निगम/मण्डल/आयोग आदि के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के वाहन व्यय के (अग्रिम भुगतान/तुरंत भुगतान की व्यवस्था नहीं होगी) भुगतान संबंधी देयक संबंधित निगम/मण्डल/आयोग को भेजा जाएगा जहॉ से भुगतान प्राप्त किया जाएगा। किन्तु व्यावसायिक स्वरूप के निगम/मण्डल/आयोग के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के लिए वाहन व्यवस्था छत्तीसगढ़ भवन द्वारा अग्रिम रूपये 50,000/– छत्तीसगढ़ भवन में जमा कराने पर देय होगी। इस खातों के संधारण हेतु 2 प्रतिशत सर्विस चार्ज निगम/मंडल से देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही. के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001
//आदेश//

रायपुर, दिनॉक 05 मई, 2009

क्रमांक एफ 8–6/2003/1/5:: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :–

//संशोधन//

उपरोक्त नियमों में,

(1) नियम 3 के भाग (ख) के पश्चात् भाग (ग) निम्नानुसार जोड़ा जाए,

''(ग) छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम में वाहन की पात्रता नहीं रखने वाले अधिकारियों को दिल्ली प्रवास के दौरान नगद भुगतान पर ही छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।''

(2) वर्तमान नियम 12 के स्थान पर नया नियम–12 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए,

''नियम 12, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को रूपये 50,000/– अग्रिम जमा कराये जानक पर ही निगम/मंडल/आयोग के पदाधिकारियों/अधिकारियों को दिल्ली प्रवास के दौरान वाहन व्यवस्था की जायेगी, जिसके देयक समायोजन हेतु संबंधित कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।''

2/ उपरोक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारीी होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0आर0 मिश्रा)
सुंयक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 8–6/2003/1/5 रायपुर दिनॉक 02 सितम्बर, 2005

प्रतिलिपिः–

1. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रायपुर, छत्तीसगढ़,
3. समस्त संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
5. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
8. आवासीस आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
11. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/युवा आयोग/गौ–सेवा आयोग, रायपुर,
12. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, रायपुर,
13. निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर,
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
15. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर,
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर,
17. निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र मंत्रालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(एम.एम. मिंज)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

//आदेश//

रायपुर, दिनॉक 01 दिसम्बर, 2011

क्रमांक एफ 8–6/2003/1/5:: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :–

//संशोधन//

उपरोक्त नियमों में,

(1) नियम 3 के (क) मे,

सरल क्रमांक–3 में ''छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश'' के पश्चात् ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' जोड़ा जाता है।
सरल क्रमांक–9 में ''मुख्य सचिव'' के पश्चात् ''राज्य सूचना आयुक्त'' जोड़ा जाता है।

(2) नियम 3 के भाग (ख) में,
सरल क्रमांक–8 में ''प्रमुख सचिव/सचिव'' के पश्चात् ''जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम) तथा जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी)'' जोड़ा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0आर0 मिश्रा)
सुंयक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
रायपुर दिनॉक 01 दिसम्बर, 2011

क्रमांक एफ 8–6/2003/1/5

प्रतिलिपिः–

1. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रायपुर, छत्तीसगढ,
3. समस्त संभागायुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
5. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
8. आवासीस आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,

क्रमशः.....2

9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,

11. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ राज्य सूचना आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/युवा आयोग/गौ–सेवा आयोग, रायपुर,
12. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, रायपुर,
13. उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण,
    उपाध्यक्ष, सरगुग एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा
    उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण,
14. निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर,
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
16. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

(जी.एल. सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग